न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>

<u>B.P. No.-596/2026</u>

प्रमोद कुमार बनाम बिहार सरकार

[सराय थाना कांड सं0 112/2026]

<u>आदेश</u>

<u>07.07.2026</u> आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार पे0 स्व0 संत कुमार ठाकुर** जो इस मामले में दिनांक **22.04.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 596/2026, सराय थाना कांड सं0 112/2026, अंतर्गत धारा–309(6), 103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–25(1–बी) 26, 27 आयुध अधिनियम पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि सूचिका के पति कल्याणपुर बाजार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं दिनांक 20.03.2026 को ग्रामीण बैंक बरहनी एवं सिवान के अन्य बैंको से पांच लाख रूपया लेकर पी0 देवी कल्याणपुर रोड होकर मोटर साईकिल से आ रहे थे तभी रास्ते में ढागा चौधरी के बगीचा(बैशाखी) के सामने मोटर साईकिल सवार बदमाशों ने सूचिका के पति को पीछे से तीन गोली मारकर पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गए। सूचिका के पति द्वारा दिनांक 20.03.2026 को शाम 03:09 पी0एम0 पर फोन कर सूचिका को सूचना दिया गया कि मोटर साईकिल सवार तीन बदमाश द्वारा मुझे गोली मारकर पैसा छीन लिया गया। सूचना मिलने पर सूचिका और ग्रामीण लोगों द्वारा उनको सदर अस्पताल सिवान लाया गया। जहां पर बेहतर ईलाज हेतु डॉक्टरों के द्वारा रेफर कर दिया गया। सूचिका उचित ईलाज हेतु गोरखपुर के रचित मल्टी स्पेशलिस्ट हास्पीटल में भर्ती कराए। जहां पर सूचिका के पति का ईलाज चल रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसने कोई अपराधक कारित नहीं किया है। आवेदक की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के खिलाफ पूर्व से एक मामला पंजीकृत है। आवेदक दिनांक 22.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोई भी धारा लागू नहीं होती है, क्योंकि आवेदक घटना में शामिल नहीं था। बल्कि उसे इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है ताकि उस पर दबाव डाला जा सके और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को कम किया जा सके। आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा, आधारहीन एवं मनगढंत है। आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने एवं भागने की कोई संभावना है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-596/2026
प्रमोद कुमार बनाम बिहार सरकार
[सराय थाना कांड सं0 112/2026]

07.07.2026
लगातार

अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का एक आपराधिक इतिहास भी है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी सराय थाना कांड सं0 112/2026, अंतर्गत धारा–309(6) भारतीय न्याय संहिता एवं 27 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है एवं आदेश दिनांक 15.04.2026 के द्वारा धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–25(1–बी) 26 आयुध अधिनियम को जोड़ा गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति को गोली मारने एवं पांच लाख रूपए लूटने, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई, का अपराध कारित करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। आवेदक के घर से 8220/– रूपए की बरामदगी की गई है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 03 में वादिनी का पुनः बयान अंकित है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 19, 20 एवं 109 में साक्षियों का बयान अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 26 में जख्मी का ईलाज के दौरान मृत हो जाने के संबंध में अंकित है। प्रस्तुत मामले में आवेदक का नाम सह अभियुक्तगण के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर सामने आया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 177 में मृतक के मुत्यु समीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें चिकित्सक ने मृतक के मृत्यु का कारण गंभीर रक्त संक्रमण को बताया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **प्रमोद कुमार** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 21.05.2026 उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 07.07.2026

Date of Order/Judgment	07.07.2026
Date of Reserving Order/Judgment	07.07.2026
Uploading Date	10.07.2026
Uploaded By	RAVI KANT

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान

<u>उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी</u>

<u>B.P. No.-596/2026</u>

प्रमोद कुमार बनाम बिहार सरकार

[सराय थाना कांड सं0 112/2026]